रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 488] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 17, 1993/श्रावण 26, 1915
No. 488] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 17, 1993/SRAVANA 26, 1915

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 1993

का.आ. 617(अ).—केन्द्रीय सरकार, बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय बीज समिति से परामर्श करने के पश्चात्, यह राय होने पर कि कृषि के प्रयोजनों के लिये विक्रय किये जाने वाले नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट किस्मों के और उक्त सारणी के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रकार के बीजों की क्वालिटी का

विनियमन करना आवश्यक और समीचीन है, बीजों की उक्त किस्मों को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पन्द्रह वर्ष की अवधि के लिये सम्पूर्ण भारत के लिये अधिसूचित किस्में घोषित करती है, अर्थात् :—

सारणी

क्र. सं.	किस्म	प्रकार
1	2	3
1.	पूसा संकर–6	बैंगन
2.	हिसार श्यामल	बैंगन
3.	पूसा अर्ली सिन्थेटिक	फूलगोभी
4.	कोंकण कीर्ति	मिर्च
5.	कोंकण भूषण	डोलिकैस बीन
6.	गोदावरी (सलैक्शन 2)	लहसुन
7.	पूसा रसराज	खरबूजा
8.	राजेन्द्र शकरकंद-35	शकरकंद
9.	किरण	शकरकंद
10.	हिसार ललित (एन टी–8)	टमाटर

[सं. 17–4/93-एस.डी.-4]

शांता शीला नायर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th August, 1993

S.O. 617(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Seeds Act, 1966 (54 of 1966), the Central Government after consultation with the Central Seed Committee, being of opinion that it is necessary and expedient to regulate the quality of the seeds of the varieties specified in column (2) of the Table below

of the kinds specified in the corresponding entries in column (3) of the said Table, to be sold for the purposes of agriculture, hereby declares the said varieties of seeds to be the notified vrieties for a period of fifteen years from the date of publication of this notification, for the whole of India for the purposes of the said Act, namely:—

TABLE

Sl. No.	Variety	Kind
1	2	3
1.	Pusa Hybrid-6	Brinjal
2.	Hisar Shyamal	Brinjal
3.	Pusa Early Synthetic	Cauliflower
4.	Konkan Kirti	Chillies
5.	Konkan Bhushan	Dolichus baen
6.	Godawari (Sel. 2)	Garlic
7.	Pusa Rasraj	Muskmelon
8.	Rajendra Shankerkand-35	Sweet Potato
9.	Kiran	Sweet Potato
10.	Hisar Lalit (NT-8)	Tomato

[No. 17-4/93-SD. VI]

SANTHA SHEELA NAIR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993